

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, कम0 3 अजमेर</p> <p style="text-align: center;">दीवानी वाद सख्या 05/2014 सीआईएस संख्या 199/2014 शांतिलाल बनाम गोपेश व अन्य</p>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.01.2026	<p>वकुलाय फरिकेन उपस्थित। वादी सं. 2 मोहनलाल की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील कौशिक द्वारा वकालतनामा व प्रार्थना पत्र दिनांक 20-12-2025 को पेश किया गया था, जो शामिल पत्रावली रहे। वादी सं. 2 मोहनलाल व्यक्तिशः उपस्थित। जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र की ताईद करते हुये जाहिर किया कि उसका, प्रतिवादीगण समस्त से राजीनामा हो गया है तथा वह प्रतिवादीगण समस्त के विरुद्ध प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाह कर दावा विद्रोल करना चाहता है तथा इस बात का उल्लेख आदेशिका पर भी किया गया। पक्षकार की पहचान उसके अधिवक्ता द्वारा की गयी। चूंकि वादी सं. 2 मोहनलाल के द्वारा प्रतिवादीगण समस्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाही गयी है तथा वह अपने वाद का स्वयं मालिक है। अतः वाद वादी सं. 2 की हद तक विरुद्ध प्रतिवादीगण कार्यवाही नहीं चाहने के आधार पर खारिज किया जाता है।</p> <p>इस स्तर पर वादीया सं. 3 श्रीमती कमला का पुत्र दिलीप उपस्थित आया, जिसकी ओर से अधिवक्ता श्री सुनील कौशिक द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी बाबत वादीया स. 3 श्रीमती कमला की मृत्यु होने का पेश किया गया, जिसके समर्थन में श्रीमती कमला देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा दिलीप के आधार कार्ड की प्रति पेश की, शामिल रहे। प्रार्थना पत्र की नकल अधिवक्ता प्रतिवादीगण को दिलाई गई। जिन्होंने जवाब हेतु समय चाहा।</p> <p>पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 27-01-2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(नीरज गुप्ता) अपर जिला न्यायाधीश संख्या 3, अजमेर</p>	